


# अवैध निर्माणों की रिश्वत के भाव बढ़े : चौर-उच्चके चौधरी, लुडीरन प्रधान वाली कहावत चरितार्थ

**फरीदाबाद (म.मो.)** चौर-उच्चके चौधरी, लुडीरन प्रधान वाली कहावत बड़खल विधानसभा प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान नरेश चावला उर्फ (कटोरा) व उसके गिरोह पर बिल्कुल सटीक बैठती है।

पछले दिनों नरेश चावला व उसके बिल्डर साथियों ने एक योजना बना कर प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन का गठन किया व उसका प्रधान नरेश चावला को बनाया। यहां पाठकों को बता दें कि चावला के इस गिरोह में शहर के बिल्डरों के साथ-साथ औन लाइन कैसिनो का धंधा व सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध निर्माण बनाने वाले सारे शहर के 'मौजिज' बिल्डर लोग शामिल हैं।

एसोसिएशन की आड़ में इस गिरोह



अवैध बिल्डरों का चौधरी  
नरेश चावला

के कई और भी धंधे हैं जिनका नेतृत्व नरेश चावला बख्खी निभाता है। इस गिरोह

## एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन.....

### पेज एक का शेष

#### गाने का शौकीन था अनिल जिंदल

एसआरएस ग्रुप का चेयरमैन अनिल उस महीने में कम से कम दो-तीन बार गाने की महफिल सजाता था। दिल्ली में रहने वाली एक प्रोफेशनल गायिका को जिंदल ने वेतन पर रखा हुआ था। बाद में वह उस गायिका को ही गाने के तरीके समझने लगा और खुद गाकर बताता था कि किस तरह वह अपना सुर ताल ठीक कर सकती है। उस गायिका के एक एक बोल पर वह महफिल में पैसे लुटाता था। जिंदल से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर, रियल्टी सेक्टर के अन्य दलाल, पुलिस व प्रशासनिक अफसर, छुट्टीये नेता उन महफिलों की शोभा बढ़ाते थे।

बैंकों से ठांगी का एक जैसा पैटर्न

चाहे वह रोटोमैक कंपनी द्वारा की गई ठांगी हो या फिर विडियोकॉन के मालिक द्वारा बैंकों को लगाया चूना शामिल हो या फिर एसआरएस ग्रुप द्वारा बैंकों से लोन लेकर अपीर बनने की कहानी हो, सभी घोटालों में एक जैसा पैटर्न है। बैंक फॉड के जितने भी मामले अभी तक खुले हैं, उनमें तमाम फर्जी धन्नी सेठों ने शेल कंपनियां बनाईं। इनके नाम पर बैंक लोन लिया। इन्हीं शेल कंपनियों में से एक दूसरा कंपनी को बैंक गरंटी भी देते रहे। यह पैटर्न हर जगह और तमाम शहरों में अपनाया गया। इसका निचोड़ यह निकलता है कि बैंकों के बड़े अफसरों ने या तो यह रस्ता दिखाया या फिर देश के बड़े चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने तमाम घोटालेबाजों को ऐसा कर पैसा कमाने की सलाह दी।

बैंकों से करोड़ों के लोन चुटकियों में लेने का खेल इन्होंने आसान नहीं है। यह तभी संभव है जब आपकी राजनीतिक सेटिंग बहुत हाई लेवल पर हो और आप बैंकों के बड़े अफसरों को मोटा पैसा खिला सकें। यही काम देश से फरार हो चुके विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने किया और यही काम अनिल जिंदल ने भी किया। इन सभी ने सत्ता से करीबी बनाई, बैंक अफसरों को रिश्वत से लेकर सुरा सुंदरी तक पहुंचाई और रांगोंत अमीर बन बैठे।

बैंकों से करोड़ों के लोन चुटकियों में लेने का खेल इन्होंने आसान नहीं है। यह तभी संभव है जब आपकी राजनीतिक सेटिंग बहुत हाई लेवल पर हो और आप बैंकों के बड़े अफसरों को मोटा पैसा खिला सकें। यही काम देश से फरार हो चुके विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने किया और यही काम अनिल जिंदल ने भी किया। इन सभी ने सत्ता से करीबी बनाई, बैंक अफसरों को रिश्वत से लेकर सुरा सुंदरी तक पहुंचाई और रांगोंत अमीर बन बैठे।

याद कीजिये तमिलनाडु आकर जंतर-मंतर पर धरना दे रहे किसानों को। गले में खोपड़ी की माला, मुँह में मेरे चूहे दबावे। पेशब पीकर अपनी हालत बयान करते किसान। आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। राष्ट्रीय मीडिया पर कवरेज शृंखला। सोशल मीडिया पर लोग तालियां पोट-पोटकर हमस

## नूर और अला, दो बहनें : सीरिया युद्ध के मासूम शिकार

बहनों ने 6 दिन पहले मदद मांगी थी।

रेडक्रॉस की टीम घोउटा से इदलिब लेकर आई

5 माह के 273 दर्वीट का मजमून

हम हर पल यहां मर रहे हैं, जिंदगी तहखानों में

दफन हो रही, कोई तो इसे रोके

हम नूर और अला हैं। 10 और 8 साल के हैं। घोउटा में रहते हैं। जो कुछ हम यहां देख रहे हैं वो युद्ध है। हम खेलना चाहते हैं। स्कूल जाना चाहते हैं और शार्ट से रहना चाहते हैं। हर दिन बमबारी, बमबारी और सिर्फ बमबारी...। हमें प्लेन से नफरत है। ये रोजाना बच्चे को मार रहे हैं। हमें अशर्च्य होता है कि इस बार कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दो साल का करीब अपनी दादी और पापा के साथ रहता है। दो दिन पहले हुई बमबारी में उसने पापा को खो दिया। बमबारी के चलते स्कूल बंद है। आज 45 दिन हो गए हैं। बच्चे तहखानों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन ये प्लेन तहखानों को भी तबाह कर देते हैं। यहां जिंदगी बदतर होती जा रही है। बमबारी जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हर दिन कोई न कोई दम तोड़ रहा है। मेरे अरबी भाषा के टीचर भी मारे गये। प्लीज कोई इस पागलपन को रोके। हमारा घर भी तबाह हो गया। अला जखी हो गयी। हमारा घर छुट कुका है और हमारे सपने भी। हम अभी जोबार में हैं। मैं इस युद्ध को खत्म होते देखना चाहती हूँ।

## एस.सी.-एस.टी एक्ट दलितों का नहीं शासकों का हथियार है

### सतीश कुमार, सम्पादक मजदूर मोर्चा

यह सच्चाई मुझ से बेहतर कौन जान सकता है? दिनांक 5 अक्टूबर 2002 की शाम कीब 7-8 बजे जब मैं सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में चल रहे पुस्तक मेले से अपने स्कूटर पर सवार होकर निकल रहा था तो तकालीन चौटाला सरकार एवं एसपी फरीदाबाद रणबीर शर्मा के आदेश पर डीएसपी थावर सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ मुझे धेर लिया और उठा कर सीधे थाना सेंट्रल में ले गया।

वहां थावर सिंह नायब रीडर हवलदार रमेश के झटे बयान पर मेरे विरुद्ध एस.सी.-एस.टी एक्ट के तहत मुकदमा नम्बर 813 दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। अगले दिन ड्यूटी मैजिस्ट्रेट सुकरमपाल ने बिना कुछ सुने दो सप्ताह के लिये मुझे सोनीपुर जेल भेज दिया। बाद में जिला बार एसोसिएशन (वकीलों) की पैरवी से अतिरिक्त सैशन जज ने जमानत मंजूर कर ली। मात्र दो सप्ताह की जेल यात्रा करके मैं बाहर आ गया।

सुनवाई करने वाले स्पेशल अतिरिक्त सैशन जज ने मुझे रिहा करते हुए पुनः तप्तीश करने के आदेश दिये। इस बीच जनता ने चौटाला का तखा पलट दिया। न रणबीर शर्मा एसपी रह पाये न थावर डीएसपी रह गये थे। अब तप्तीश तकालीन डीएसपी बदन सिंह राणा से कराई गयी। थावर सिंह द्वारा खड़े किये गये तमाम गवाह, एसएचओ सेंट्रल रणबीर सिंह समेत तमाम पुलिस वालों ने मेरे हक में बयान देते हुए केस को झूठा दर्ज होना बताया। लिहाजा मुकदमा रद्द करके अदालत में भेज दिया गया।

तकालीन एसी एम्बुलिंग विवाह करने के बाद बुलाया गया। उसके न आने पर पुलिस रिपोर्ट पर अपनी अनिम्न मुहर लगाकर एफआईआर रद्द कर दी। इसके बावजूद न्यायपालिका का ड्रामा देखो जो अब तक बतौर शिकायतकर्ता रमेश बतौर प्राइवेट शिकायत डाल केस को खसीटे जा रहा है।

संदर्भवश पाठक जान लें कि चौटाला सरकार ने एसपी रणबीर शर्मा के द्वारा डीएसपी थावर व हवलदार रमेश (दोनों चमारों) को माहरा बना कर एससी-एसटी एक्ट का घोर दुरुपयोग किया था और इस बेक्सूर पत्रकार को मुफ्त में 2 सप्ताह की जेल यात्रा करा दी थी। इस केस में जमानत भी महज 2 सप्ताह में इस लिये हो पाई थी क्योंकि जिले के सारे जज साहेबान अगस्त 2001 से देख रहे थे कि चौटाला सरकार के इशारे पर रणबीर शर्मा (हत्या सहित) मेरे विरुद्ध 5 झटे मुकदमे पहले भी दर्ज करा चुका था। इस लिये पुलिस फ़ाइलों की झूठ से पूर्णतया वाकिफ़ थे।

एस.सी.-एस.टी एक्ट के तहत इसी तरह के अनेकों झटे केस आये दिन देखने को मिलते हैं। सचमुच का पीड़ित दलित बेशक रोजाना गाव के दबंगों से प्रताङ्गित होता रहे कोई उसकी सुनवाई नहीं करता। हां, जहां राजनेता, प्रशासन अथवा किसी से बदला लेने की बात हो तो ही एससी-एसटी रूपी इस हथियार का बेहद सटीक दुरुपयोग होता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस एक्ट पर हालिया फैसले को लेकर जिस तरह पक्ष और विपक्ष ने तुमार बांध रखा है, ऐसी कोई बात है नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो 1996 में कही अपनी उसी बात को तो दोहरा रही है कि बिना सबूतों के किसी को नाजायज गिरफ्तार न किया जाय, जैसे 2002 में मुझे किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की इतनी कमजोरी जरूर है कि उसके आदेशों की खुली उल्लंघन करने वालों को वह उचित 'प्रसाद' नहीं देती। यदि इस तरह से उल्लंघन करने वाले 2-4 अफसरों को ठीक-ठाक सा प्रसाद मिल जाता तो मौजूदा आदेश देने की कोई जस्तर ही न पड़ती।

मेरे केस में गैरतलब यह भी है कि शिकायतकर्ता खुद एक पुलिस अफसर है। दलित जाति से बेशक हो, उसे सरकार ने लाठी व बंदूक के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता से भी लैस कर रख